

13/6/24

पत्रावली पेश हुई। नवीन वारिक उद्योग प्रति सं. 1 क 6 की ओर से श्री मयंक कुमार ने वकील बनकर पेश किया था कि वकील को नो बिल प्रोवाइडिंग की अफवाह सफाई शर्तों के तहत रजिस्ट्रार की 30 कि.मी. परमाणु वास्तु प्रकल्प 1 क 6 हेतु तथा दोष प्रतिबन्धन शर्तों को ध्यान में रखकर 12/7/24 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वारी के आब उच्चारी  
2 न 7 का भी  
निहित करवाया जाय व नरम  
उच्चारी का भी  
निहित उच्चारी को कर  
आवृत्ति नहीं है

पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/7/24 को पेश है।

Janak

24/7/24

पत्रावली पेश हुई। वारी व वकीलवारी उपलब्ध नहीं। 9 वस्तु अफवाह वारी व उनके अधिवक्ता को वाट-वाट अफवाह लगेवाई गई। वारी व उनके अधिवक्ता भी डोट के ओई भी उपलब्ध नहीं है। वारी का गड अफवाह वारी अफवाह वारी के खारिज किया जाता है। पत्रावली के फल गुमाट के फल नहीं है। अफवाह, वाट व वारी व वारी व वारी

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Pr-my Adv  
Prakash n 5  
Tiwadi



R/c 4  
24/7/24

### न्यायलय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर (सांगानेर)

वाद पत्र संख्या 24/2024

मीरा देवी पत्नी लल्लूराम नराणिया जाति खटीक निवासी-खटीको का मोहल्ला, सांगानेर जिला जयपुर

वादिया

बनाम

- 1. डिम्पल शर्मा पुत्री घनश्याम शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी- एस-43, बरकत नगर, टोक रोड फाटक जयपुर
- 2. ताथूलाल पुत्र सीताराम जाति बागडा ब्रह्मण निवासी- 17ए, त्रिवेणी विहार, रामपुरा रोड, सांगानेर जयपुर
- 3. प्रेमदेवी पुत्री रामसहाय जाति बागडा ब्रह्मण निवासी- ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
- 4. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बागडा ब्रह्मण निवासी-ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
- 5. मदन दत्तक पुत्र सुवालाल जाति बागडा ब्रह्मण निवासी- ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
- 6. रेखा शर्मा पत्नी पंकज शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी- एस-43, बरकत नगर, टोक रोड फाटक जयपुर
- 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पता- तहसीलदार कार्यालय तहसील सांगानेर जयपुर
- 8. उपपंजीयक द्वितीय सांगानेर पता - तहसील कार्यालय सांगानेर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53 ए, 188 राज.  
काश्तकारी अधिनियम

श्रीमानजी,

मीरा

